हरिभूमि
इस्पात भूमि - Page 4
16 July 2025

विधिक सेवा प्राधिकरण ने छात्रावास में दिलाया प्रवेश

दुर्ग। उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश, संरक्षक रमेश सिन्हा ने बाल गृह और बाल संप्रेक्षण गृह में रह रहे शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के विकास के लिए बड़ी पहल की है। विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों में

वसूली गई अर्थदण्ड की राशि इन बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के पास जमा कराने के आदेश दिया है। आदेश 11 सितंबर 2024 से 11 जुलाई 2025 तक की अवधि के लिए दिया गया है। इस दौरान कुल 4 लाख 2 हजार रुपए की राशि जमा कराई जानी है। इसमें से 2 लाख 6 हजार रुपये दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित संस्था में जमा हो चुके हैं। वहीं, 1 लाख 79 हजार रुपये बाल संप्रेक्षण गृह में जमा किए जा चुके हैं। यह राशि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, खेल सामग्री, शिक्षाप्रद पुस्तकें और मानसिक विकास से जुड़ी गतिविधियों के लिए उपयोग की जाएगी। एक निर्धन एवं जरूरतमंद बालिका को विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र कन्या दुर्ग के छात्रावास में प्रवेश दिलाने में अहम भूमिका निभाई गई। बरेबेड़ा कांकेर निवासी मेधावी छात्रा आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर पृष्ठभूमि से थी, जिसने अपनी कठिन आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों के बाद भी अपने अध्ययन को निरंतर जारी रखा था। उसे छात्रावास में प्रवेश आवश्यक थी। उसे प्रवेश दिलाने में विधिक सेवा प्राधिकरण ने सहयोग प्रदान किया।